

कार्यालय जनपद न्यायाधीश -पीलीभीत।

आदेश संख्या- 14-/2026 दिनांकित: जनवरी 12, 2026

आदेश

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पूर्व में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है कि माननीय उच्चतम न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों को हिंदी में देखने व खोजने हेतु ई-इलाहाबाद उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका (e-AHCR) एवं भूतपूर्व मा0 न्यायमूर्तिगण वरिष्ठ विधिक विद्वानों के विचारों, दृष्टिकोणों तथा उनके उत्कृष्ट योगदानों को हिंदी में प्रस्तुत किये जाने हेतु न्यायाभा- न्याय की किरण का संचालन प्रारम्भ किया गया है, जिनके डाउनलोड लिंक अधोवर्णित हैं-

1. ई-इलाहाबाद उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका (e-AHCR)-
<http://www2.allahabadhighcourt.in/misc/suvas/index.html>
2. न्यायाभा-न्याय की किरण-
http://www.allahabadhighcourt.in/suvas/nyaya-abha_26-11-2024/Nyayabha-FirstEdition-26-11-2024.pdf

पुनः माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त विषयक वीडियो कांफ्रेंसिंग दिनांकित 08.01.2026 में निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुपालन में, श्री सुनील कुमार II, अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पीलीभीत को उपरोक्त विषयक व्यापक प्रचार प्रसार हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

नामित नोडल अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वे माननीय न्यायालय की बेवसाइट पर क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध माननीय उच्चतम न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के संबंध में समस्त सम्भावित माध्यमों से व्यापक प्रचार प्रसार हेतु बैनर/पम्फलेट इत्यादि जनपद न्यायालय परिसर में समस्त दर्शनीय स्थानों पर लगवाया जाना सुनिश्चित करें एवं वीडियो कांफ्रेंसिंग में दिये गये अन्य निर्देशों (जैसे- नोडल अधिकारी कम्प्यूटर्स से परामर्श कर उपरोक्त प्रचार हेतु जिला न्यायालय, पीलीभीत की बेवसाइट पर उपलब्ध संबंधित लिंक का मा0 न्यायालय से हाइपर लिंक बनवाया जाना व बार संघ में अधिवक्तागण के मध्य प्रचार हेतु एक समिति बनवाना तथा लॉ कालेजों/डिग्री कालेजों/जेल/तहसील/तालुका/खण्ड/ग्राम में विधिक शिविर के दौरान प्रचार कराया जाना) का अनुपालन कराये जाने विषयक यथावश्यक प्रयास करें।

समस्त सम्बन्धित सूचित हों।

दिनांकित: जनवरी 12, 2026

(रविन्द्र कुमार IV), 2026
जनपद न्यायाधीश,
पीलीभीत

Seen.

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश /
पूर्ण 13/01/26
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
जनपद-पीलीभीत